

फर्द अहकाम

(नियम 36)

अज अदालत

जिला कलकत्ता

मुकाम उलपडाव

श्री दिनेश पुत्र रामबिहारी

श्री बाबूलाल पुत्र रामचंद्र माली

किस्म मुकदमा

झपील

प्र.सं.

7/22

GCMS NO

2022


पृ. 24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
29 ⁴ 22	<p>अधिवक्ता श्री इमिरेड सोलकी द्वारा प्राप्त झपील झन्तर्गत धारा 75 भू-राजान्व अधिनियम 1956 के तहत पिलहू नामान्तकरण संख्या 3001 दिनांक 12/03/2022 के विषय में बाद जॉय रिपोर्ट एवं अप्पियर झपीलार्थी की सुनवाई अनुसार प्रसंशाम में ज्ञात कि झपील में वर्णित विवादकों एवं बाद की विषय वस्तु तथा बिवादित नामान्तकरण से प्रभावित भूमिओं के शीर्षक एवं एक अधिकार, स्वाधिकत्व संबंध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय (Beng) श्रीमती लक्ष्मी के सक्षम एक धौकालाक बाद एवं निर्बंधन प्रथम क्रम जरिये प्रकरण संख्या 06/2021 एवं 08/2021 विचारधीन ही उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18/02/2021 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ तथा प्रकरण के विषयक एक झपील झपीलार्थी न्यायालय हाजि से जारी प्रकरण संख्या 2/2021 GCMS NO. 2021/5 लडनवान श्री दिनेश पनाम बाबूलाल माली दिनांक 8/4/2022 को उपरोक्त आधारों पर धारा 10 CPC</p>	दिनेश

में विहित प्रावधानों की अनुसरण में
कमील कमीलार्थी Infractuous & ad-jorn
सारहीन एवं आस्थगिर योग्य होने से
कस्वीकार की जा चुकी है।

अतः समान पक्षकारों समान वाद विषयक
विनुक्तों और विवाद्यकों के संबंध में 'Aegum
ज्यायालय हरीसादी के समक्ष नियमित
वाद के संचालित रहते कमील सुनवाई
किया जाना असमीचीन प्रतीत होता है।

अतः कमील कमीलार्थी उपरोक्त आधारों
पर इसी स्तर पर मैनेटेबल नहीं मानते
इस Infractuous & ad-jorn होने से
कस्वीकार / खरीज की जाती है।


जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)